

पत्र सं. 4-200/2016-रा.म.आ.(प्रशा.)-बालगृह

राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र

नई दिल्ली-110025

२०

सितम्बर, 2017

अधिसूचना

विषय: जसोला स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में के बालगृह (क्रेच) का उपयोग

कानूनी आयोग के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधिक रक्षोपायों से संबंधित विषयों पर कार्यवाही करने, विद्यमान विधानों का पुनर्विलोकन और उनमें संशोधन की सिफारिश करने, महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतों पर विचार करने और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित सभी अधिनियमित विधानों के उचित कार्यान्वयन को मॉनीटर करने जिससे कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकें और विकास की प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें, की गई है।

2. आयोग में कार्यरत अधिकारियों/पदधारियों के बालकों के लिए कार्यालय समय के दौरान आयोग, भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025 के अपने परिसर में तारीख 7 अक्टूबर, 2016 से सफलतापूर्वक एक बालगृह (क्रेच) चला रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का यह प्रस्ताव है कि निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी/प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के बालकों (6 मास से लेकर 10 वर्ष की आयु के बीच के बालक) तक इस सुविधा का विस्तार किया जाए।

नया बालगृह (क्रेच)	
सरकारी कर्मचारी जिनके अन्तर्गत नगर निगम/बैंक/पब्लिक सेक्टर इकाई/स्वायत्त निकाय आदि भी हैं।	प्रति बालक 750 रुपये प्रतिमास
राष्ट्रीय महिला आयोग के कर्मचारी	प्रति बालक 500 रुपये प्रतिमास
उपरोक्त (1) और (2) से भिन्न	प्रति बालक 1000 रुपये प्रतिमास
प्रवेश प्रभार	सभी वर्गों के प्रति बालक के लिए 100 रुपये

3. राष्ट्रीय महिला आयोग के आस-पास के क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के हितबद्ध कर्मचारी स्थल पर आ सकते हैं और बालगृह (क्रेच) की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्ररूप संलग्न है।

२०/११/२०/०९/२०१७  
(आर.सी. आहूजा)  
अवर सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग  
बालकों का देखरेख केन्द्र (क्रेच)  
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र

बालक की  
फोटो

- आपातकालीन संपर्क सं. ....
- (1) बालक का नाम .....लिंग.....
- (2) जन्म की तारीख.....  
(बालक की जन्म की तारीख के प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी)
- (3) तारीख के अनुसार आयु.....वर्ष.....मास
- (4) माता का नाम.....उपजीविका.....  
कार्यालय पता.....  
टेलीफोन नं./मोबाइल नं. ....
- (5) पिता का नाम.....उपजीविका.....  
कार्यालय पता.....  
टेलीफोन नं./मोबाइल नं. ....
- (6) राष्ट्रीय महिला आयोग का कर्मचारी होने की दशा में पहचान पत्र सं. ....
- (7) आवासीय पता.....  
.....टेली.नं. ....
- (8) बालक का रक्त समूह .....
- (9) बालक की चिकित्सा समस्या, यदि कोई है.....
- (10) बालक कोई नियमित ओषधि लेता है या नहीं और किसी ओषधि/खाद्य पदार्थ से अनुभूतिशील है या नहीं.....

माता की  
फोटो

व्यक्ति की  
फोटो

पिता की  
फोटो

माता का हस्ताक्षर

पिता का हस्ताक्षर

उस दशा में यदि बालक को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाया या ले जाया जाएगा

नाम.....

हस्ताक्षर .....

(केवल शासकीय उपयोग के लिए)

रजिस्ट्रकरण नं. ....

खाता सं. ....

प्रवेश की तारीख.....

प्रवेश सं. ....

तारीख.....

हस्ताक्षर .....

F.No.4-200/2016-NCW(A)-Creche  
National Commission for Women  
Plot No. 21 Jasola Institutional Area  
New Delhi 110025.

20 September, 2017

NOTIFICATION

**Sub: Utilisation of Creche in NCW office at Jasola – reg.**

The National Commission for Women has been established as a statutory Commission for dealing with matters relating to constitutional and legal safeguards provided for women, to review the existing legislations and suggest amendments thereto, to look into the complaints involving deprivation of the rights of women and monitor proper implementation of all legislations enacted to protect the rights of women to enable them to achieve equality in all spheres of life and equal participation in the developmental process.

2. With effect from 7<sup>th</sup> October, 2016, the Commission has successfully been running a Creche in its premises at Plot No. 21 Jasola Institutional Area, New Delhi 110025 during office hours for the children of the Officers/officials working in the Commission. NCW proposes to extend this facility to children (between the age of 6 months to 10 years) of employees of Government/Private sector working in the surrounding areas as per the following schedule:

NCW CRECHE	
Govt. employees including employees of Municipal Corporation/Banks/PSUs/Autonomous Bodies etc.	Rs.750/- per month per child
NCW employees	Rs.500/- per month per child
Other than (1) & (2) above	Rs.1,000/- per month per child
Admission charges	Rs.100/- per child for all categories

3. The interested employees of the Government/Private sector working in the surrounding areas may visit the site and avail the facility of Creche. A form for the purpose is attached.




  
(R.C. Ahuja)  
Under Secretary  
20/09/2017

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN  
 CHILD CARE CENTRE (CRECHE)  
 APPLICATION FORM FOR REGISTRATION  
 Plot No. 21 Jasola Institutional Area  
 New Delhi - 110025



Emergency Contact No. ....

1. Name of the child..... Gender .....
2. Date of Birth .....  
 (self attested copy of date of birth certificate of child should be attached)
3. Age as on 1<sup>st</sup> November, 2017 ..... Years .....Month
4. Mother's Name ..... Occupation.....  
 Office Address.....  
 Telephone No./ Mobile No. ....
5. Father's Name..... Occupation.....  
 Office Address.....  
 Telephone No./ Mobile No. ....
6. In case of National Commission Employee Identity Card No. ....
7. Residential Address.....  
 ..... Tel. No. (S).....
8. Blood Group of Child .....
9. Medical problem of child, if any.....
10. Whether child is on any regular medication and allergic to any medicine/food.....



Signature of Mother

In case any other person would pick up the child

Signature of Father

Name .....

Signature.....

**(FOR OFFICIAL USE ONLY)**

Registration No.....

Account No.....

Date of admission .....

Admission No.....

Date.....

Signature.....